न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 97/2018

प्रार्थी
वीराराम पुत्र चमनारामजी आयु 38 साल
जाति मेघवाल निवासी जावाल
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
1—श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि तगारामजी
आयु व्यस्क जाति मेघवाल निवासी
हाल दक्षिण मेघवालवास सिरोही
तहसील व जिला सिरोही
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार
सिरोही

उपस्थित :—
1— श्री कलीम अव्वल,वकील प्रार्थी की ओर से
2— श्री सुरेशकुमार शाह,वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3— अप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (तहसीलदार,सिरोही)

राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राज.काश्त.अधि. 1955 के
वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 25 —6—2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 वास्ते प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 20—8—2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के कदीमी कब्जा व मालकी की मौजा जावाल पटवार हल्का जावाल तहसील व जिला सिरोही मे खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.2800 हैक्टेयर की राजस्व भूमि आई हुई है जिनके पुराने खसरा संख्या 711मी. है। वर्णित राजस्व भूमि पर प्रार्थी का पुराना पुश्तैनी कब्जा है। इस भूमि पर प्रार्थी (Predecessor) बतौर मालिजक काबिज काश्त थे जिन्होने काफी मेहनत मशक्कत कर इस भूमि को कृषि योग्य बनाया था एवं उनकी मालकी बाबत आज दिन तक इस भूमि पर कोई विवाद किसी भी व्यक्ति नही किया है जिस पर कृषि कार्य कर वे अपना व अपने परिवार का पेट पालते थे । इस भूमि पर प्रार्थी के (Predecessor) कच्चा झोपडा,पशुओं का गोबर तथा अन्य खाद रखने और चारा इक्टठा करने के लिये बाडा बनाकर तथा कृषि कार्य व मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार सहित निवास करते थे तथा कृषि कार्य करते थे एवं तब से उक्त भूमि पर बाडा इसी कार्य के लिये प्रयोग मे लाया जा रहा है,प्रार्थी के पिता चमनाजी की मृत्यु के बाद से उक्त भूमि पर प्रार्थी का अनवरत बिना किसी रोक टोक के कब्जा है एवं प्रार्थी इस भूमि पर काबिज काश्त है । उक्त भूमि पर हब प्रार्थी द्वारा खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है।इस भूमि पर प्रार्थी का पुराना व मालिकाना कब्जा व हक अधिकार करीब 50 सालों से राज्य सरकार एवं अप्रार्थी संख्या 1 की जानकारी मे लगातार शान्तिपूर्ण रहा है। कुछ समय पहले अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कदीमी कब्जे मालकी की उपरोक्त वर्णित राजस्व आराजी को उसके खातेदारी की बताकर प्रार्थी के विरूद्व कब्जा हटाने का मुकदमा अर्न्तगत धारा 183 आरर.टी.एक्ट के तहत सहायक कलेक्टर महोदय,सिरोही के न्यायालय मे प्रार्थी की जानकारी के बगैर दर्ज करवाकर बारो बार प्रार्थी के विरूद्व कब्जा हटाने का एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करवायी एवं उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 व उसका पति तगाराम प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटाने हेतु दबाव देने लगा,जिस पर प्रार्थी द्वारा उसके पिता के समय से काबिज कब्जा मालकी की भूमि से कब्जा हटाने से स्पष्ट मना करने पर उसने सहायक कलेक्टर महोदय सिरोही से कब्जा हटाने का आदेश उनके पक्ष मे होना बताया तथा कब्जा नही हटाने की अवस्था मे पुलिस कार्यवाही करने की धमकी दी जिस बाबत प्रार्थी द्वारा उसके अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर एक तरफा निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर उक्त निर्णय के विरूद्व अपील अधिकारी न्यायालय

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

निरन्तर पेज नं. 2

पाली मे अपील प्रस्तुत की गइ जहॉ बाद सुनवाई प्रार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर सहायक कलेक्टर न्यायालय सिरोही को रिमाण्ड किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति द्वारा उनकी कारगुारियॉ सामने आने के डर से प्रार्थी के विरूद्व वह मुकदमा नोटप्रेस कर खारिज करवाया ।अप्रार्थी संख्या 1 का पति तगाराम प्रार्थी का सगा चचेरा भाई है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता के कदीम से कब्जा काश्त व मालकी की होने तथा चमनाजी व उनके बाद चमनाजी द्वारा उक्त भूमि प्रार्थी को सुपुर्द करने से प्रार्थी के कब्जे काश्त व मालकी की होने की पूर्ण जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति शकुन्तला देवी व उसके पति तगाराम को है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 के पति राजस्व कर्मचारी होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी के पिता व प्रार्थी के कब्जे मालकी की उपरोक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज करवा दिया जो कि गलत है। जबकि उपरोक्त राजस्व भूमि के वास्तविक मालिक प्रार्थी के पिता चमनारामजी थे । प्रार्थी के पिता द्वारा भी उपरोक्त भूमि पारिवारिक सेटलमेण्ट मे प्रार्थी को दी थी जिसमे प्रार्थी के भाई आशाराम द्वारा पूर्ण सहमति दी थी । उक्त भूमि पर पुराना पुश्तैनी कब्जा काश्त व बाडा एवं प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा है इस भूमि पर प्रार्थी का बहुत पुराना व पश्चातवर्ती कब्जा राज्य सरकार व अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार की जानकारी मे शान्तिपूर्ण रहा है जिससे भी इस भूमि को नियमन कराने अथवा खातेदारी प्राप्त करने के हक व अधिकार प्रार्थी को ही प्राप्त हो चुके है जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पेश करने का कारण पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टयॉ मामला प्रार्थी के पक्ष मे है प्रार्थी अपने पिता के समय से कदीम से वादग्रस्त आराजी पर बतौर मालिक काबिज है,केवल अप्रार्थी संख्या 1 के पति प्रार्थी के चचेरे भाई होने से उस पर भरोसा करने पर उसके द्वारा धोखे से प्रार्थी के पिता चमनाराम के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा देने से अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त संपति मे कोई हक अधिकार पैदा नही होते है तथा न ही उससे वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के हक अधिकार किसी तरह से प्रभावित होते है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी मे करीब 50 सालों से ही मालिक व काबिज है,जिससे प्रार्थनापत्र संख्या 2 पैरा मे वर्णित राजस्व आराजी मे प्रार्थी के कब्जे मालकी व हक हिस्से की राजस्व आराजी से प्रार्थी को कृषि करने से रोकने,एवं उस पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने का अथवा राजस्व रेकर्ड मे नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि को उपयोग उपभोग करने का अप्रार्थी संख्या 1 या अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार नही है। यदि अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नही किया गया तो वे जबरन कमजोर प्रार्थी के कब्जे मे हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तथा अप्रार्थी प्रार्थी के कमजोर व अकेले होने का फायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जे मालकी की उपरोक्त आराजी पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर सकते है तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर उसे बारो बार बेचान या खुर्द बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थी का प्रस्तुत वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा वाद बाहुल्यता की प्रवृति बढेगी एवं प्रार्थी को अतुलनीय व अपूरणीय क्षति होगी । अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के पक्ष मे एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना फरमावें कि ताफैसला वाद अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त वर्णित राजस्व आराजी अथवा उसके किसी भी हिस्से पर प्रार्थी की सहमति बगैर प्रवेश करने,उसमे विधिविरूद्व रूप से जबरन कब्जा करने की कोशिश करने,से अप्रार्थी संख्या 1 को रोका जाने तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वंय,उसके पति,रिश्तेदार,ठेकेदार मजदूर अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति के जरिये वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी के शान्तिपूर्ण कब्जे व उपयोग व उपभोग मे किसी प्रकार से कोई भी बाधा अथवा अवरोध कारित करने से रोका जाने तथा वादग्रस्त आराजी मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को बारो बार बेचान,रहन,दान अथवा किसी भी प्रकार से व्ययन करने से रोके जाने के आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना फरमावें ।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

शिरस्तेदार पेज नं. 3

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात सूची अनुसार पटवारी हल्का जावाल का प्रमाण पत्र दि 13–11–17 विगोटी रसीद कमांक 62439, 62291 जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता नंबर नया 741 खसरा नंबर 1964 / 945 रकबा 0.2800 हैक्टेयर नक्शा किश्तवार, मिलान क्षैत्रफल वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 आरटीएक्ट, माननीय अपील प्राधिकारी कोर्ट पाली का निर्णय दिनांक 23–6–2016 राजस्व वाद संख्या 12 / 2014 के आदेशिका दि 24–1–2014 से लगातार दि 13–11–2017 की प्रतियॉ मौके के फोटोग्राफस प्रतियॉ का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र दिनांक 20–8–2018 को न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर उक्त नोटिस बाद तामिल इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 16–1–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 7–1–2019 को शामिल मिसल किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई । अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाब मे पैरा संख्या 2 के कथन की हकीकत को सत्य होने से स्वीकार किया गया । प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 के उत्तर मे निवेदन किया कि इस पद की सम्पूर्ण हकीकत असत्य होने से अप्रार्थीयॉ अस्वीकार करती है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो प्रार्थी का न ही उनके पिताजी व भाई आशाराम तथा पूर्वजो का कोई कब्जा काश्त ही रहा है न ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई वाडा ही बना हुआ है और नही प्रार्थी व उससे पूर्वज काबिज काश्त होने का कथन असत्य होने से अस्वीकार है वरन मौके पर कब्जा अप्रार्थीया श्रीमती शकुन्तलादेवी का है और तारबंदी की हुई है तथा मौके पर कोई फसल नही बोई हुई है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 के उतर मे निवेदन किया कि इस पद की सम्पूर्ण हकीकत असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का बहुत पुराना व मालकाना कब्जा व हक अधिकार करीब 50 सालों से राज्य सरकार व अप्रार्थीगण संख्या 1 की जानकारी मे लगातार शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त होने का कथन असत्य होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के पिता चमनाजी व उसके भाई आशाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि मे अवैध रूप से अतिकमण किये जाने पर धारा 183 आर.टी.एक्ट के तहत चमनाजी व आशाराम के विरूद्व दावा अवश्य प्रस्तुत किया था जिसके निर्णय व डिकी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे हुआ था और उससे पश्चात प्रार्थी के पिता चमनाजी व आशाराम ने राजस्व अपीललेण्ट कोर्ट केम्प पाली मे अपील अवश्य प्रस्तुत की थी जो रिमाण्ड हेतु पुनः सुनवायी हेतु श्रीमान के न्यायालय मे मुकदमा लौटाया गया था और प्रार्थी के भाई आशाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 11–2–2017 को राजीनामा मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया था तब से लगाकर आज दिन तक कब्जा मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 का है। उक्त राजीनामा फौजदारी केस अर्न्तगत धारा 447 / 34 आई.पी.सी. मे फौजदारी प्रकरण संख्या 487 / 2011 मे पफौजदारी प्रकरण जरिये राजीनामा लोक अदालत दिनांक 15–2–17 को फैसल की गई थी और उक्त फौजदारी मुकदमे के दौरान प्रार्थी के पिता चमनाजी का स्वर्गवास हो जाने से राजीनामा आशाराम द्वारा किया गया था । वास्ते सबत उक्त फैसले व राजीनामा की नकले साथ मे प्रस्तुत है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 व 6 के उतर मे निवेदन है कि पदो की सम्पूर्ण हकीकत असत्य होने से अस्वीकार करते है। तगाराम अप्रार्थी संख्या 1 का पति अवश्य है परन्तु उन्होने पटवारी पद पर कोई दुरूप्योग आज दिन तक नही किया है एवं प्रार्थी ने जानबुझकर लोगो की सिखावट मे आकर मनगढन्त तथा उपरोक्त पैरा मे लिखवाये है जो अप्रार्थीगण अस्वीकार करते है। अप्रार्थी संख्या 1 के पति तगाराम ने स्वर्गीय चमनारामजी ने किसी से कोई रकम प्राप्त नही की है और न ही राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी अथवा उनके भाई या उनके पिता के नाम अथवा अन्य किसी के नाम खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने की कोई बात ही कही है। शेष प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 से 12 तक का कथन अस्वीकार कर निनवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त कृषि भूमि मेसे आधा हिस्सा —————→ लगातार

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

निरन्तर पेज नं. 4

दिनांक 23–6–2010 को नरींगाराम पुत्र पनाजी जाति मेगवाल निवासी लुणावा से खरीद कर उसकी रजिस्टरी करवायी थी तथा कब्जा प्राप्त किया था तथा आधा हिस्सा फुलाराम पुत्र तेजारामजी मेगवाल पालडीजोड से मोल किमतन दिनांक 14–6–2010 को खरीद कर रजिस्टरी करवायी थी एवं आधा हिस्सा का कब्जा इनके प्राप्त किया था । इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त खसरा नंबर की सम्पूर्ण रकबा यानि खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.12700 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीद कर पूर्ण रकबा का कब्जा प्राप्त किया था तथा मुटेश्न भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे हो चुका है तथा आज दिन तक कब्जा व आश्त अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। प्रार्थी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर न तो कभी कब्जा रहा है और न ही उनके पिताजी चमनाराम व उसके भाई आशाराम अथवा उनके पूर्वजों का कोई कब्जा ही रहा है। जिससे एडर्वस पजेश्न की स्टोरी गलत होने से व असत्य होने से अप्रार्थी संख्या 1 स्वीकार करती है तथा प्रार्थी का कोई प्राथम दृष्टियॉ केस प्रार्थी के पक्ष मे है क्योंकि अप्रार्थीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये बेचान लिखत से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा उसका मुटेश्न भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे हो जाने से अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 1964/945 रकबा 0.2800 हेक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार कृष्क है एवं मौके पर तारबंदी की हुई है कोई फसल नही बोई है तथा जे.सी.बी. से भूमि को समतल करायी है जो आज भी मौके पर मौजूद है जबकि प्रार्थी ने तत्कालीन पटवारी से मेल मिलाप कर कब्जे का सर्टीफिकेट प्राप्त किया है जो विधि विरूद्व है। इस प्रकार प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टयॉ केस नही है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार कृष्क है एवं प्रार्थी के पिता स्वर्गीय चमनारामजी द्वारा व उसके भाई आशाराम द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर फौजदारी प्रकरण मे आपसी राजीनामा के जरिये आशाराम ने मौके पर कब्जा पुनः अप्रार्थीगण संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया था । इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदार कृष्क है एवं काबिज काश्त है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रार्थी के पक्ष मे पारित हो जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को अतुलनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयो पैसो मे आका नही जा सकता है और बहु विवाद मे उलझना पडेगा और सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष मे है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का खारीज करवाना फरमावें ।

विचारण प्रकरण मे सुनवाई पेशि दिनांक 16–1–2019 को दौराने सुनवाइअप्रार्थी संख्या 2 स्टेट की ओर पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि प्रकरण मे स्टेट तहसीलदार/सिरोही फोरमल पक्षकार होने तथा राजहित प्रभावित नही होने से अप्रर्थी संख्या 2 स्टेट का जवाब दने की आवश्यकता नही होने ससे जवाब बंद करावे जिस पर न्यायालय द्वारा पैरोकार सरकार के निवेदन पर अप्रार्थी संया 2 का जवाब बंद किया गया ।

इस न्यायालय मे विचारण प्रकरण मे वास्ते प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 की अंतिम बहस दिनांक 3–6–2019 को रखी गई । जिस पर वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने सुनवाई न्यायालय मे हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय प्रार्थनापत्र अ.धा. 212 आर.टी. एक्ट व जवाब तथा संलग्न उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व विश्लेषण के उपरान्त यह पाया गया कि अप्रार्थीयॉ जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 241 मौजा जावाल के वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1964/945 रकबा 0.2800 हेक्टेयर की खातेदार कृष्क है। प्रार्थी के भाई आशाराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भमि का कब्जा दिनांक 11–2–2017 को राजीनामा मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 को सुपुर्द किया था तब से लगाकर आज दिन तक मौके पर कब्जा अप्रार्थीया का है। उक्त राजीनामा फौजदारी प्रकरण संख्या 487/2011 मे जरिये राजीनामा लोक अदालत मे दिनांक 15–2–2017 को फैसल हुई है। इस प्रकार विचारण प्रकरण मे अप्रार्थीया

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

निरन्तर पेज नं. 5

वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक होने से प्रथम दृष्टयॉ मामला अप्रार्थीया के पक्ष मे जाना जाहिर होता है तथा खातेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी करने से सुविधा का संतुलन विपरित रूप से हितो को प्रभावित कर सकता है तथा अप्रार्थीया को बिना किसी वजह के वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त करने से रोकना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि अप्रार्थीयॉ के नाम पर खातेदारी हक के दर्ज है प्रार्थीगण इस भूमि पर प्रतिकूल आधिपत्य (एडर्वस पजेशन) के आधार पर अपने पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले मे सम्बन्धित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ प्रकरण जो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल एवं प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य पर आधारित हो,प्रमाणित करना होता है। परन्तु विवेचनाधीन प्रकरण मे प्रार्थीगण के पक्ष मे न तो प्रथम दृष्टयॉ टाईटल है तथा न ही प्रथम दृष्टयॉ आधिपत्य ही प्रमाणित है। कानूनी नजीर आर.आर.डी. 2011 पेज 563 –564 सोनीदेवी वगैहरा बनाम मीठूलाल वगैरहा मे यह प्रतिपादित किया है कि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टयॉ मामला टाईटल व प्रथम दृष्टयॉ मामला आधिपत्य हेतु सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति सिद्व करने मे असफल होने के फलस्वरूप प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थीयॉ बाबत प्राप्त करने अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार(खारिज) किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 25–6–2019 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)